



2026:AHC:163650

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27208/2026**

अर्जुन

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : कुलदीप कुमार, शिव शरण त्रिपाठी, यश गर्ग  
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. अधिवक्ता श्री राम कृष्ण यादव ने शिकायतकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शरण त्रिपाठी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कृष्ण यादव और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री विजय बहादुर मौर्य की दलीलें सुनीं।
3. यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए मामला अपराध संख्या 140/2025, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(3) बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन खागा, जिला फतेहपुर में दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और वर्तमान मामले की एफआईआर छह व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पति पर हमला किया और सह-आरोपी नवल किशोर ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया, हालांकि, इससे पता चलता है कि मामले की शिकायतकर्ता प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी।
5. इसके बाद वह यह तर्क देता है कि शिकायतकर्ता, जो कि प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और उसने एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं बताया था, लेकिन जब धारा 180 बीएनएसएस के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसने नामजद आरोपियों के साथ-साथ आवेदक और दो अन्य लोगों के नाम भी बताए।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चश्मदीनों ने भी, जिनमें शिकायतकर्ता का बेटा अमन भी शामिल था, आवेदक का नाम बताया, लेकिन चूंकि पहले ही शिकायतकर्ता ने आवेदक का नाम बता दिया था, इसलिए उन्होंने भी आवेदक के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया।
7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इन प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी थी। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से पता चलता है कि मृतक को 24 चोटें आई थीं, लेकिन चूंकि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे जांच के दौरान आरोपी बनाया गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया वह निर्दोष प्रतीत होता है।

8. इसके बाद वह यह तर्क देता है कि वास्तव में आवेदक ने इस घटना में कभी भाग नहीं लिया था, लेकिन जांच के दौरान झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 12.05.2026 से जेल में है।

10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यद्यपि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन मामले की शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में उसका नाम बताया है और यहां तक कि चश्मदीदों ने भी उसका नाम बताया है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक को लगी चोटों की संख्या को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

11. उन्होंने आगे निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज की जा सकती है।

12. मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

13. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को 24 चोटें आई थीं और इसलिए यह एक क्रूर हत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था।

14. इसके अलावा, हालांकि मामले का शिकायतकर्ता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, फिर भी उसने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में आवेदक का नाम बताया।

15. इसके अलावा, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद जब जांच अधिकारी ने अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज किए, तो उन्होंने भी अन्य लोगों के साथ आवेदक का नाम बताया, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके बयानों से पहले ही शिकायतकर्ता ने जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में आवेदक का नाम बता दिया था, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदक को झूठे आरोप में फंसाए जाने के संबंध में दिए गए तर्क को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका ही सौंपी है।

16. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 12.05.2026 से जेल में है।

17. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

19. उक्त मामले में आवेदक **अर्जुन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**5 अगस्त, 2026**

शाहरोज

(न्यायमूर्ति समीर जैन)